

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ- 3-4 /2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28-9-2017
प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
भोपाल


विषय :- विधि एवं विधायी कार्य विभाग हेतु मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत दिये गये वित्तीय अधिकारों में निम्नांकित प्रत्यायोजन और जोड़े जाते हैं :-

Department of Law and Legislative Affairs				
Financial Powers in respect of District and Sessions Judges				
S. No.	Description	Authority competent exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5
1	Sanction purchase of Spare parts, accessories and other equipment for working of machine.	District and Sessions Judges	up to Rs. 50,000 per year	
2.	Purchase of office supplies and equipment	District and Sessions Judges	up to Rs. 1.00 Lakh per year	

2. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुखर्जी)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ- 3-4

2017/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 28-9-2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन,वित्त विभाग